

No. 9-13/2015/DD-I
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities

Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110 003
Dated the 3rd December, 2015

To

General Secretary
Deaf Cultural & Art Association
H.No.1036, Sector-9
Gurgaon-12 001
Haryana


Subject: Setting up of Indian Sign Language Research & Training Centre (ISLRTC) as an autonomous organization-regarding

Sir,

I am directed to refer to representation dated Nil of your Association addressed to Hon'ble Prime Minister of India on the above mentioned subject and to say that the Government has approved establishment of Indian Sign Language Research and Training Centre (ISLRTC) as a Society under the Societies Registration Act, 1860, under the aegis of this Department initially; to be located at Pt. Deendayal Upadhyay Institute for Physically Handicapped, 4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002. Order to this effect has been issued on 28th September, 2015 (copy enclosed).

Encl: As above

Yours faithfully,



(S.K. Mahto)

Under Secretary to the Government of India

☎011-24369027

संख्या.4-12/2009-एन आई
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-03
दिनांक : 28 सितंबर, 2015

आदेश

मुझे इस विभाग के तत्वाधान में समितिशां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के तौर पर प्रारंभ में शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली में अवस्थिति के साथ एक भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु भारत सरकार का अनुमोदन संसूचन करने का निदेश हुआ है। केन्द्र के निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे:

- i) इस्तेमाल करने और अध्यापन हेतु जनशक्ति का विकास करना और द्विभाषिकरण (अर्थात् संकेत+लेखन) सहित भारतीय संकेत भाषा में अनुसंधान करना।
- ii) श्रवण बाधित छात्रों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तरों पर भारतीय संकेत भाषा के इस्तेमाल का संवर्धन करना। केन्द्र मानव संसाधन विकास विभाग और राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से मोडलटीज तैयार करेगा।
- iii) भारत और विदेश में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान करना और भारतीय संकेत भाषा कार्पस के सृजन सहित भाषा विज्ञान रिकार्डों/विश्लेषणों का सृजन करना (शब्दावली)।
- iv) विभिन्न समूहों अर्थात् सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, पेशेवरों, सामुदायिक नेताओं और जनता को संकेत भाषा को समझने और इस्तेमाल करने हेतु अनुकूलन करना और प्रशिक्षित करना।
- v) भारतीय संकेत भाषा के संवर्धन और प्रसार हेतु विकलांगता के क्षेत्र में बधिर संगठनों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना।
- vi) विश्व के अन्य भागों में इस्तेमाल की जा रही संकेत भाषा के संबंध में सूचना एकत्रित करना ताकि इस जानकारी का भारतीय संकेत भाषा के उन्नयन हेतु इस्तेमाल किया जा सके।

2. अनुबंध-1 पर दिये गये विवरण अनुसार, सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग सामान्य परिषद के अध्यक्ष और 12 सदस्यों के साथ, केन्द्र, समितियां पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक समिति होगा। इसकी अनुबंध- II पर दिये गये विवरण के अनुसार एक कार्यकारिणी परिषद् होगी जिसका एक अध्यक्ष होगा और 9 सदस्य होंगे। इनमें कुछ पदेन होंगे और अन्य बधिर/विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों और भारतीय संकेत भाषा में स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे।

3. शेष 12वीं योजना के अंतर्गत अवधि के दौरान आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय का वर्ष वार व्यय निम्न प्रकार से होगा:

(करोड़ रूपये में)			
व्यय	2015-16	2016-17	कुल
गैर-आवर्ती (उपकरण)	1.00	2.00	3.00
आवर्ती (मानव संसाधन, स्थान किराये पर लेना और विविध)	2.00	7.00	9.00
योग	3.00	9.00	12.00

बाद में भी योजना विभाग द्वारा सकल बजटीय सहायता में से वित्त पोषित की जायेगी।

4. केन्द्र भारतीय संकेत भाषा के शैक्षिक विकास, प्रशिक्षण और प्रसार का मार्ग प्रशस्त करेगा। सहयोगात्मक केन्द्र वित्तीय वर्ष 2016-17 से कार्य करना शुरू कर देंगे। स्कूलों और कॉलेजों में बधिर छात्रों को संकेत भाषा शिक्षा देने हेतु, केन्द्र, केन्द्रीय स्कूल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य केन्द्रीय/राज्य बोर्डों के साथ सहयोग करेगा।

5. विभाग केन्द्र के कार्यों के संचालन और उद्देश्यों हेतु नियम और विनियम तैयार करेगा और दिशा-निदेश जारी करेगा। केन्द्र लक्षित समूह की आवश्यकता के मद्देनजर समय-समय पर विभिन्न कोर्सों का निर्धारण करेगा।

6. केन्द्र हेतु पदों के सृजन के संबंध में और आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय हेतु प्लान के अंतर्गत अपेक्षित धन मंजूर किये जाने हेतु अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

31/12/15

(अवनीश कुमार अवस्थी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या : 24369056

सेवा में

1. निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, 4 विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली-110001 को केन्द्र स्थापित करने हेतु आवश्यक संभार तंत्र सहायता मुहैया कराने और व्यवस्था करने के अनुरोध के साथ।
2. सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य आयुक्त (वि.ज.)/भारतीय पुनर्वास परिषद/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एलिम्को (रा.वि.वि.एवं वि.नि.), विभाग के अधीन सभी संस्थानों के निदेशक।
5. माननीय मंत्री (सा.न्या.और अधि.) के निजी सचिव/माननीय राज्य मंत्री (सा.न्या. और अधि. - के.पी.) के निजी सचिव/सचिव (वि.ज.सश.वि.) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एकेए) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निजी सचिव।
6. विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग का एकीकृत वित्त प्रभाग/बजट/स्थापना प्रभाग/गार्ड फाईल।

भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की महा परिषद

1. सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग – अध्यक्ष (पदेन)
2. संयुक्त सचिव (विकलांगता), विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग – सदस्य (पदेन)
3. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय – सदस्य (पदेन)
4. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य (पदेन)
5. संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय – सदस्य (पदेन)
6. संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय – सदस्य (पदेन)
7. संयुक्त सचिव, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय – सदस्य (पदेन)
8. निदेशक, अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई – सदस्य (पदेन)
9. निदेशक, अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान – सदस्य (पदेन)
10. बधिरों के राष्ट्रीय स्तरीय संगठनों से 3 प्रतिनिधि विभाग द्वारा नामित किये जायेंगे
11. निदेशक, भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य सचिव

विभाग, यदि आवश्यक समझे तो, समिति में अन्य विशेषज्ञों को भी (3 से अधिक नहीं) शामिल कर सकता है।

भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की कार्यकारी परिषद

1. संयुक्त सचिव (विकलांगता), विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग – अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
3. निदेशक, अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई
4. निदेशक, अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर
5. बधिरों के राष्ट्रीय स्तरीय संगठनों / विश्वविद्यालयों / शैक्षिक संस्थानों से 3 प्रतिनिधि
6. संकेत भाषा व्याख्यान के राष्ट्रीय स्तरीय संगठनों से 2 प्रतिनिधि
7. भारतीय पुनर्वास परिषद, श्रवण बाधित पर विशेषज्ञ समिति से 1 प्रतिनिधि

विभाग, यदि आवश्यक समझे तो कार्यकारी परिषद में अन्य विशेषज्ञों को भी (3 से अधिक नहीं) शामिल कर सकता है ।